कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स.0294-2421255, 2420013 E Mail commnngm-rj@nic.in Website:- https://www.udaipurmc.org

क्रमांकः– गैराज/ननिउ/2023–24/24 दिनांकः– 17/4/2023

(ई–भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या – ई 01..../2023–2024

नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्देशित स्थानो पर सुरक्षा गार्ड वार्षिक दर संविदा पर उपलब्ध कराने का कार्य हेतु ई – प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से ऑन लाईन निविदा दिनांक 27-04-23 समय सांय 04:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in & www.eproc.rajasthan.gov.in एवं नगर निगम, उदयपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारम्भ दिनांक 18-04-2023........ तथा खुलने की दिनांक 28-04-2023.......... एवं अनुमानित लागत 92.33 लाख रू. है।

अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम उदयपुर

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

प्रतिलिपिः–

1. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन एक क्षैत्रीय दैनिक सामाचार पत्र तथा
2. एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में, प्रकाशित कराने का श्रम करावें। तथा **E-mail ID - garage.umc21@gmail.com** पर समाचार पत्रों के इन्टीमेशन ई–मेल कराने का श्रम करावे।
   1) नोटिस बोर्ड नगर निगम/गैराज/फायर स्टेशन, अशोक नगर पर चस्पा करावें।
   2) अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) को प्रेषित कर लेख है कि निविदा का प्रकाशन नगर निगम की वेबसाइट पर करावें।
   3) उक्त निविदा को SPPP पोर्टल पर दिनांक 17/04/2023...... को अपलोड कर दिया गया है। जिसके UBN no. .... है।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

टाउनहॉल लिंक रोड उदयपुर (राज.) 313001

दुरभाष स.0294-2421255, 2420013 E Mail commnngm-rj@nic.in Website:- https://www.udaipurmc.org

क्रमांकः—गैराज / न.नि.उ. / 2023—24 / ई—01/24 दिनांक 17/04/2023

ई— निविदा सूचना

नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्देशित स्थानो पर सुरक्षा गार्ड वार्षिक दर संविदा पर उपलब्ध कराने का कार्य हेतु दी प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (रेग्युलेशन) एक्ट 2005 के अन्तर्गत डीजीपी सिविल डिफेन्स एवं होमगार्ड लाईसेन्स प्राप्त एजेन्सीज जिन्हे इस कार्य का अनुभव हो से निर्धारित प्रपत्र में ई—टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :—

क्र स.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क + 18% GST	निविदा प्रोसेस शुल्क	कार्य अवधि	निविदा प्राप्ति कार्यालय का नाम
1.	नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्देशित स्थानो पर सुरक्षा गार्ड वार्षिक दर संविदा पर उपलब्ध कराने का कार्य।	92.33 लाख	184660 / —	5000+900 = 5900 / —	1500 / —	1 वर्ष	www.eproc.rajasthan.gov.in से डॉउनलॉड की जा सकती है

अ. सामान्य :—

ऑन लाईन EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने का प्रोसेस :—

1. निविदा प्रपत्र अनुसार EMD, Tender Fee & Processing Fee निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम वेब साईट http://www.udaipurmc.org पर TENDERS ➡ TENDER FEE PAYMENT में जाकर Online जमा कराकर प्राप्ति रसीद वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराये जाने वाले दस्तावेजो के साथ अपलोड करनी होगी।

2. बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिगं फीस व निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि हेतु बिडर्स को सलाह दी जाती है कि उक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार ही ये राशियां जमा करावें। निगम के बैंक खाते में सीधे ही RTGS, NEFT या अन्य कोई भी UPI द्वारा राशि जमा करा देने की प्रकिया को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे बिडर्स को अप्रत्युत्तरदायी मानकर उनकी वित्तीय बिड को नहीं खोला जाएगा। अतः उक्त बिन्दु संख्या 1 में वर्णित प्रकियानुसार ही बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिगं फीस व निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि जमा कराई जाए। सुविधा हेतु स्क्रीन शॉट संलग्न है।
अपवाद स्वरूप तकनिकी कारणों से यदि उक्त बिन्दू संख्या 1 के अनुसार ऑनलाईन हस्तान्तरण न हो पाए तो RTPP Rules 2013 के नियम संख्या 42 के अनुसार ये राशियां नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इस स्थिति में आवेदन शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम, उदयपुर तथा प्रोसेसिगं फीस हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट MD RISL, Jaipur के नाम होना चाहिये तथा स्वंय बिडर के खाते से बना होना चाहिये जो बिड के खोलने की दिनांक से आगामी 30 दिवस के लिए वैध हो। इस प्रकार के तीनों पृथक—पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रारम्भ तिथि से निविदा की अंतिम तिथि के आगामी कार्य दिवस के दौरान कभी भी जमा करायें जा सकेगें। भौतिक रूप से डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने का अंतिम समय निविदा समाप्ति के आगामी कार्य दिवस पर दोपहर 12.00 बजे तक का रहेगा। इसके पश्चात प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगें।

3) वित्त (जी एण्ड डी) विभाग की आज्ञा क्रमांक F8 (10) SFC/misc/2022 दिनांक 27.01.2023 द्वारा RISL को देय प्रोसेसिंग की दरें संशोधित निम्नानुसार निर्धारित की गई है :—

3) वित्त (जी एण्ड डी) विभाग की आज्ञा क्रमांक F8 (10) SFC/misc/2022 दिनांक 27.01.2023 द्वारा RISL को देय प्रोसेसिंग की दरें संशोधित निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

i बिड का अनुमानित मूल्य 50.00 लाख तक है – 500.00 रूपये

ii बिड का अनुमानित मूल्य 50.00 लाख से अधिक किन्तु 100.00 लाख तक है – 1500.00 रूपये

iii बिड का अनुमानित मूल्य 100.00 लाख से अधिक किन्तु 500.00 लाखा तक है – 2000.00 रूपये

iv बिड का अनुमानित मूल्य 500.00 लाख से अधिक है – 2500.00 रूपये

अतः बिड के अनुमानित मूल्य के आधार पर रूपये 1500.00 की राशि निविदा शुल्क के अलावा देनी होगी जो मेनेजिंग डायरेक्टर RISL के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य हो।

4) किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

5) निविदादाता को विगत पांच वर्षो अर्थात 2017–18 से 2021–22 की अवधि में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 20 सिक्योरिटी गार्ड न्यूनतम 6 माह के लिए उपलब्ध कराने का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की संख्या व अवधि अंकित हो के जो किसी राजकीय/अर्द्धराजकीय विभाग, बैंक, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से जारी हो अपलोड करना आवश्यक होगा।

6) निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। इसी प्रकार सेवा प्रदाता के सर्विस चार्ज बिना प्रतिफल या ऋणात्मक होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासनिक जिन निकायो के सम्बन्ध में इस निविदा में कुछ नहीं कहा गया है उनके सम्बन्ध में RTPPACT 2012 व RTPP Rules 2013 लागू होगें।

7) वित्तिय निविदा में दरें समान आने पर सफल बिडर का चयन निम्नांकित विवरण अनुसार अंक दिये जाकर किया जाएगा।

टर्नओवर के आधार पर अधिकतम 30 अंक

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	निविदा अनुसार 31.00 लाख का औसत टर्न ओवर होने पर	शून्य
2	31.00 लाख से अधिक किन्तु 75.00 लाख का टर्न ओवर होने पर	10
3	75.00 लाख से अधिक किन्तु 125.00 लाख तक का टर्न ओवर होने पर	20
4	125.00 लाख से अधिक का टर्न ओवर होने पर (अधिकतम अंक)	30

अनुभव गार्ड संख्या के आधार पर अधिकतम 30 अंक

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	निविदा अनुसार 20 गार्ड 6 माह के लिए उपलब्ध कराने का अनुभव	शून्य
2	20 से अधिक किन्तु 40 गार्ड उपलब्ध कराने का अनुभव	10
3	40 से अधिक किन्तु 60 गार्ड उपलब्ध कराने का अनुभव	20
4	60 से अधिक गार्ड उपलब्ध कराने का अनुभव (अधिकतम अंक)	30

अनुभव अवधि के आधार अधिकतम अंक 30

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	6 माह का अनुभव होने पर	शून्य
2	6 माह से अधिक किन्तु एक वर्ष तक का अनुभव होने पर	10
3	2 वर्ष का अनुभव होने पर	20
4	2 वर्ष से अधिक का अनुभव होने पर (अधिकतम अंक)	30

4) दी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मान्य लाइसेंस :–

अधिकतम अंक 10 होंगे। वर्ष 2022–23 में रजिस्टर्ड बिडर्स को शून्य अंक दिये जाऐगे किन्तु 2022–23 से पूर्व रजिस्टर्ड बिडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन वर्ष के आधार पर 2 अंक दिये जाएगे। अर्थात् 2021–22 में रजिस्टर्ड बिडर्स को 2 अंक, 2020–21 में रजिस्टर्ड बिडर्स को 4 अंक, 2019–20 में रजिस्टर्ड बिडर्स को 6 अंक, 2018–19 में रजिस्टर्ड बिडर्स को 8 अंक व 2018–19 से पूर्व रजिस्टर्ड बिडर्स को अधिकतम 10 अंक दिये जाएगें।

अधिकतम 10 अंक

1) उपरोक्त कार्य के लिये दो स्तरीय पहले तकनीकी मापदण्ड़ों वाली निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी रूप से योग्य की रिपोर्ट अनुसार वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2) निविदादाता/फर्म के जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं पेन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ब. बिडिंग डाक्यूमेंटः—

1) निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट से निर्धारित दिनांक को **प्रातः 11.00** बजे से निर्धारित दिनांक को सांय **04:00** बजे तक डाउनलोड (Download) कर सकते हैं। इन निविदाओं को इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराये।
2) निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक को सांय **04:00** बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाऐं इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेव साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के कार्यालय में उपस्थित **निविदादाताओं** व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निर्धारित दिनांक को खोली जावेगी। यदि किसी कारणवा उस दिन अवकाा रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जावेगी।
3) निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लॉन, स्पेसिफिकेशन, डाइंग विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, भार्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड (Download) कर सकते हैं। यदि निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम तथा निविदा प्रक्रिया शुल्क मैनेजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में बनाये जाते है तो उक्त तीनो डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य दस्तावेज कार्यालय नगर निगम उदयपुर में दिनांक 28-04-23........को समय 01:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा कराने आवश्यक होंगे। **ये डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदादाता के स्वयं के खाते से बने होने चाहिये।**

4) (अ) निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in or www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड (Download) कर सकते है।
(ब) तकनिकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा—पत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी। जिसके लिए समय एवं दिनांक सफल निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा।
5) ई—टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :
अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.inसे डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट — 2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
स. निविदादाओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
द. ऑनलाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 2 (अ) के अनुसार खोली जावेगी।
य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

6) निविदा सूचना इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर एवं www.dipronling.org.पर भी उपलब्ध है।

7) अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

8) निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृत हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

9) यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित कार्यालय में लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

10) इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जावेगा। जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

11) निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

12) RTPP Act 2012 व RTPP नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस निविदा प्रक्रिया पर लागू होगी।

अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम उदयपुर

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स.0294-2421255, 2420013 E Mail commnngm-rj@nic.in Website:- https://www.udaipurmc.org/

क्रमांकः– गैराज/ननिउ/2022–23/ई.01/24 दिनांकः– 17/04/2023

–:नियम एवं शर्तेः–

कार्य का नामः– नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्देशित स्थानो पर सुरक्षा गार्ड वार्षिक दर संविदा पर उपलब्ध कराने का कार्य।

1. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :– 90 (नब्बे) दिन बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति FORFEIT नहीं की जा सकती। (नियम 48)
2. <u>विलम्ब से प्राप्त बोलियाँ</u> :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
3. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार</u> :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
4. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति</u> :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अध्यधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रर्फोमेन्स धरोहर राशि (BG/Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी। जो कार्य समाप्ति पर बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जायेगी।
5. <u>बोली प्रतिभूतिः–</u> RTPP Rules 2013 के नियम संख्या 42 के अनुसार जमा की जाएगी।
6. <u>बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त **(Forfeit)** कर दी जाएगी, अर्थात्</u> :–
   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

8. **उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–**

(1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवसान पर।

(2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।

(3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

(4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि वोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

9. **<u>करार का निष्पादन :–</u>**

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से **सात दिवस** के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

10. **<u>परिमाण में परिवर्तन का अधिकार</u>** :–

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी :–

- **<u>संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और</u>**
- **<u>मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।</u>**

11. **<u>बोली दस्तावजों में परिवर्तन</u>** :– बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय–सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए

किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

12. **बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :–**

1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया नब्बे दिन होगी। उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रुप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

2) बोलियों की विधिमान्यतया की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रुप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहत की जायेगी।

3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करेंगें या विस्तार करायेगें या उनकी बोली की विधिमान्यतया की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगें। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

13. **समयावधि में वृद्वि** :– इस कार्य हेतु दरे एक वर्ष की अवधि हेतु प्राप्त की जा रही है। यह अवधि आपसी सहमति से 03 माह तक के लिये बढायी जा सकेगी। प्रशासनिक कारणों से नई निविदा नहीं हो पाने की दशा में नई निविदा होने तक अनुमोदित दरो पर ही कार्य करना होगा इसके लिए आयुक्त/महापौर सक्षम होगे।

14. **जुर्माना** :– संवेदक करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् अगर कार्य नहीं करता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी तथा नगर निगम से 3 वर्षों के लिए फर्म को ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा।

15. निविदादाता को बीड डॉक्युमेन्ट ऑनलाईन डाउनलॉड कर ऑनलाईन ही अपलोड करने होंगे।

16. निविदा शुल्क एवं निविदा प्रोसेस शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जायेगा।

17. संवेदक को दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्वत करनी होगी तथा उसमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना होगा।

18. यह कि नगर निगम बोर्ड उदयपुर की पूर्व अनुमति से केवल प्रशासनिक शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा जिससे नगर निगम को कोई वित्तीय प्रभार वहन नहीं करना पडे।

19. सशर्त निविदा मान्य नही होंगी।

20. समस्त राजकीय कर टीडीएस काटे जाकर संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा कराये जायेगें, अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

21. इस निविदा की प्रकृति से जुडे कार्य में किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी विभाग से गत तीन वर्षो में ब्लेक लिस्टेड़/वंचित किये गये संवेदक द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में भाग नही लिया जा सकता है।

22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागू होगें।

23. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड का फीजिकल फीट, 18 वर्ष से अधिक किन्तु 50 वर्ष से कम आयु का होना अनिवार्य है।

24. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड को सिक्युरिटी सम्बन्धित सभी नियमों की सम्पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है।

25. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड के अनुपस्थित रहने की दशा में संवेदक को अन्य सिक्युरिटी गार्ड तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।

26. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
27. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ नगर निगम को प्रस्तुत की जायेगी।
28. संवेदक द्वारा नियोजित सिक्युरिटी गार्ड को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित सिक्युरिटी गार्ड के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। सिक्युरिटी गार्ड के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत निगम की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
29. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार सिक्युरिटी गार्ड को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
30. यदि संवेदक द्वारा दी गई दर न्युनतम मजदूरी की दर के अनुसार ही होने पर सिक्युरिटी गार्ड को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर निगम द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
31. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त सिक्युरिटी गार्ड का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित सिक्युरिटी गार्ड की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
32. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो की पालना करने का दायित्व श्रम विभाग के नियमो के अन्तर्गत होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक उत्तरदायी होगा।
33. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये सिक्युरिटी गार्ड के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये नगर निगम का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं 1971 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
34. नियोजित सिक्युरिटी गार्ड को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। जिसमें नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
35. उपापन में आवश्यक मानव संसाधन 60 **(साठ)** दर्शाये गए है जो कि अनुमानित संख्या है। निगम की आवश्यकता अनुसार संख्या कम अथवा ज्यादा की जा सकती है। किसी न्युनतम मात्रा की कोई गारण्टी नही है।
36. यदि संवेदक द्वारा राज्य सरकार से कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित व न्यूनतम मजदूरी की दर से कम दर उद्धत की जाती है तो ऐसे संवेदक की वित्तीय बीड पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं संवेदक की बीड अस्वीकृत कर दी जायेगी।
37. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
38. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

39. संवेदक द्वारा कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

40. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड को निर्धारित वर्दी, बुट, केप में रहना एवं बेच लगाना अनिवार्य होगा। सिक्युरिटी गार्ड को वर्दी संवेदक स्वंय के खर्चे से मौसम के अनुसार (सर्दी, गर्मी, वर्षा) उपलब्ध करायेगा।

41. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड के ड्यूटी पर आने–जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

42. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड के ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार के व्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा।

43. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निगम निर्देशानुसार सिक्युरिटी गार्ड को बदलना पडेगा।

44. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड को वी.आई.पी. सिक्युरिटी/वीजिट आदि में जाने पर 8 घण्टे से अधिक समय तक भी रूकना पड सकता है जिसका भुगतान श्रम अधिनियम कानुन के अनुसार किया जायेगा।

45. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड को बढानें या कम करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम उदयपुर के निर्णयानुसार होगा जो संवेदक द्वारा मान्य होगा। उपलब्ध कराये गये सिक्युरिटी गार्ड को आयुक्त या सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक) गैराज के निर्देशानुसार अन्य विभागो में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।

46. निगम द्वारा सिक्युरिटी गार्ड को निगम के समस्त विभागो में आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा जिस पर संवेदक को कोई आपत्ति नही होंगी।

47. सिक्योरिटी गार्ड को सुरक्षा के साधन यथा विसल, लट्ठ, टॉर्च आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा ये वर्दी का हिस्सा होंगे।

48. आयुक्त नगर निगम उदयपुर को अधिकार होगा कि कार्य संतोषप्रद नही होने पर पाँच पूर्व शास्तियो के बाद एवं एक माह के नोटिस के पश्चात कार्यादेश को निरस्त कर दे। इस निरस्तीकरण के एवज में कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

49. संवेदक द्वारा कार्य बाधित/कार्य में त्रुटी होने पर निम्नानुसार पेनल्टी आरोपित की जायेंगी:–

क्र.सं.	पेनल्टी आरोपित करने का कारण	आरोपित की जाने वाली पेनल्टी
1)	कार्य के लिए रिपोर्टिंग में देरी होने पर	100/– प्रति सिक्युरिटी गार्ड
2)	यदि संवेदक सिक्युरिटी गार्ड उपलब्ध कराने में विफल रहता है	500/– प्रति सिक्युरिटी गार्ड
3)	यदि सिक्युरिटी गार्ड निगम के अधिकारियों के निर्देशो का पालन नही करता है	प्रति सिक्युरिटी गार्ड 300/–
4)	यदि संवेदक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से बिल प्रमाणित करा गैराज शाखा को मासिक बिल जमा नही करता है (किसी भी छुट्टी के मामले में अगले कार्य दिवस को 10 वीं तारीख के रूप में समझा जाएगा)	10 तारिख के बाद 50/– रू. प्रति दिवस की शास्ती वसूली जाएगी।
5)	यदि सिक्युरिटी गार्ड अपनी निर्धारित वर्दी में नही पाया जाये	100/– रू. प्रति सिक्युरिटी गार्ड
6)	आदेशित संख्या की तुलना में मौके पर कम सिक्युरिटी गार्ड पाए जाने पर	उपस्थित संख्या के आधार पर भुगतान होगा तथा अनुपस्थित हेतु 100/– प्रति गार्ड की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
7)	आदेशित संख्या की तुलना में मौके पर कम सिक्युरिटी गार्ड पाए जाने पर	उपस्थित संख्या के आधार पर भुगतान होगा तथा अनुपस्थिति हेतु 500/– प्रति गार्ड की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

50. संवेदक को उसके द्वारा लगाए गए सिक्युरिटी गार्ड का पूर्ण बायोडाटा मय आधार कार्ड नगर निगम में जमा कराना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि लगाए जा रहे सिक्युरिटी गार्ड का चरित्र उत्तम हो तथा उसकी पृष्ठभुमि आपराधिक न हो, तथा न्यूनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण हो।
51. इस निविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद में महापौर/आयुक्त नगर निगम उदयपुर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
52. विभिन्न स्थानो पर सिक्युरिटी गार्ड की आवश्यकता अलग–अलग अवधि के लिए हो सकती है, अर्थात कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते है जिनमें 24 घण्टे सिक्युरिटी गार्ड को लगाना पडे। ऐसी स्थिति में संवेदक 08–08 घण्टे की तीन शिफ्टो में सिक्युरिटी गार्ड उपलब्ध कराने होंगे।
53. संवेदक द्वारा लगाये गये सिक्युरिटी गार्ड की लापरवाही के चलते यदि निगम की सम्पत्ति को कोई हानि होती है तो उसका मुल्य संवेदक से वसूल किया जायेगा।
54. सभी विवादों का न्यायिक क्षैत्र उदयपुर न्यायालय ही रहेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
नगर निगम उदयपुर

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

तकनिकी बीड में पात्रता की शर्तें व चेक लिस्ट

1. बीड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता मय पिन कोड:– ....

2. दूरभाष / मोबाईल नं. .... ई.मेल पता ....

3. बैंक खाते का विवरण ....

S. No.	Item Description	Quantity	Units
1	नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्देशित स्थानो पर सुरक्षा गार्ड (वार्षिक दर संविदा पर) उपलब्ध कराने का कार्य।	60 Approx	प्रतिदिन

1. निविदा शुल्क + MD, RISL, Jaipur शुल्क क्रम व बोली प्रतिभूति राशि के पृथक–पृथक कुल तीन डिमाण्ड ड्राफ्ट नं .... राशि क्रमशः., ... साथ संलग्न है।

–या–

2. निविदा शुल्क + MDRISL, Jaipur शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि ऑनलाईन जमा करा दी गई है जिनके यूटीआर नं. .... है।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक पृष्ठ संख्या	वि. वि.
1.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र					
2.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र					
3.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र					
4.	आयकर (पेन नं.)					

5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र					
6.	Annexure 'A' हस्ताक्षरित					
7.	Annexure 'B' हस्ताक्षरित					
8.	Annexure 'C' हस्ताक्षरित					
9.	Annexure 'D' हस्ताक्षरित					
10.	अनुभव प्रमाण–पत्र शर्त सं. 05 के अनुसार गार्ड संख्या व अवधि सहित अनुभव प्रमाणपत्र में अवधि व गार्ड संख्या नहीं होने पर अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।					
11.	दी प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यूनतम 31 मार्च 2022 तक के लिए मान्य लाईसेन्स या नवीनीकरण का आवेदन अपलोड करें।					
12.	वर्ष 2019–20 से 2021–22 (तीन वर्ष) का वार्षिक औसत टर्न ऑवर 31.00 लाख प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा UDN सहित प्रमाणित होना।					
13.	बैंक द्वारा जारी बैंक सौल्वेन्सी सर्टिफिकेट वास्ते (रू. 31.00 लाख)					

14.	निविदा का प्रत्येक पृष्ठ सहमति स्वरूप हस्ताक्षरित					
15.	ब्लेक लिस्ट, अयोग्य न होने का शपथ पत्र					

- निविदादाता को चेक लिस्ट में अंकित 1 से 15 तक के सभी तकनिकी दस्तावेज हस्ताक्षर मय सील ऑन लॉईन अपलॉड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।
- केवल सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण पत्र व दस्तावेज ही संलग्न किये जाए। अन्य श्रेणी के मानव संसाधन उपलब्ध कराने के अनुभव प्रमाण पत्र या दस्तावेज जिनका निविदा से सम्बन्ध नहीं है अपलोड नहीं किये जाए।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

Annexure 'A'

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Commissioner
Municipal corporation Udaipur

Signature of Bidder with Stamp

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Signature of bidder

Date:

Name :

Place:

Designation:

Address:

Commissioner
Municipal corporation Udaipur

Signature of Bidder with Stamp

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udai

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)

   (i)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:...
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:...
   ....

   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, . the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Signature of Bidder with Stamp

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

टाउनहॉल लिंक रोड उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स.0294-2421255, 2420013 E Mail commnngm-rj@nic.in Website:- https://www.udaipurmc.org

(निविदा सूचना क्रमांकः–नैराज/न.नि.उ/2023–24/ई .01/24 दिनांक 17/04/23 के अन्तर्गत

"वित्तिय विवरण"

नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्देशित स्थानो पर सुरक्षा गार्ड वार्षिक दर संविदा पर उपलब्ध कराने का कार्यः–

क्र. स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या सांकेतिक	सिक्युरिटी गार्ड प्रतिदिन आठ घण्टे की दर	ई..एस.आई. (3.25%)	ई.पी.एफ. (13%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रति गार्ड प्रतिदिन रू.	कुल योग प्रतिदिन 08 घण्टे के लिए एक सिक्युरिटी गार्ड उपलब्ध कराने की कुल दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्देशित स्थानो पर सुरक्षा गार्ड वार्षिक दर संविदा पर उपलब्ध कराने का कार्य	(1)					

नोटः–

1) संवेदक को श्रमिको की प्रतिदिन की दर अंकित करनी होगी जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नही होनी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दरे उद्धत करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। इसी प्रकार सर्विस चार्ज बिना प्रतिफल या ऋणात्मक होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

2) श्रमिक को देय ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. का नियोक्ता अंशदान नियमानुसार निगम द्वारा वहन किया जाएगा। श्रमिक अंशदान की राशि कटौती करते हुए नियोक्ता व श्रमिक का अंशदान निर्धारित समय पर जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

3) बिडर को एक सिक्योरिटी गार्ड दर बिना GST के अंकित करनी है। GST का पुर्नभरण नगर निगम द्वारा किया जायेगा। GST जमा कराने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर